न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 40/2020 **RCMS 2020/00184**

वादीगण

1. रामस्वरू पुत्र पोकरराम उम्र 24 वर्ष जाति जाट निवासी बांसा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नगौर (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र बाबत् लिपिकीय त्रुटी अशुद्व को शुद्व करने बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री बनवारीलाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 28.10.2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 57 रकबा 4.58 हैक्टर में से 3/196 हिस्सा एवं ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 58 रकबा 2.80 हैक्टर मं से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारीसुदा, कब्जासुदा, स्वामित्व की अन्य खातेदारों के साथ हक हस्से की आई हुई है, प्रार्थी के पिता पोकरराम पुत्र दल्लाराम जाति जाट निवासी बांसा तहसील डीडवाना का निधन दिनॉक 30.09.2013 को हो जाने पर उनके स्थान पर विरासतन खातेदारी दर्ज होने पर निम्न वारिसान सोहनीदेवी पत्नी पोकरराम, मुकेश सुर्फराम, मेघाराम नाबा. पि. पोकरराम नाबा. की संरक्षक माता सोहनीदेवी के नाम दर्ज किया गया, राजस्व रेकार्ड इन्द्राज में प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि से रामस्वरूप पुत्र पोकरराम के स्थान पर सुर्फराम पुत्र पोकरराम दर्ज कर दिया गया, जो गलत एवं लिपिकीय त्रुटि से अशुद्व दर्ज हो गया है, लिपिकीय त्रुटि से दर्ज उक्त नाम को शुद्व किया जाना आवश्यक है, प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रामस्वरूप आधार कार्ड, 10 वीं की अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत आनन्दपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र में दर्ज है, उक्त दस्तावेजी की स्वयं सत्यप्रति छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, प्रार्थी के उक्त अशुद्व नाम की लिपिकीय त्रुटि होने से प्रार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवानें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने व बैंक से ऋण

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

लेने व राजकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए नाम की अशुद्वि होने के कारण पेरशानी का समाना करना पड़ता है तथा प्रार्थी को प्राप्त होने वाले सभी लाभों से महरूम हो रखा है, पटवारी हल्का को नाम शुद्व करने पर उन्होने कहा कि न्यायालय से आदेश लाने पर ही नाम शुद्व दर्ज किया जा सकता है जिस कारण से वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो लगातार जारी है। प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र कि ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 57 रकबा 4.58 हैक्टर व खसरा नम्बर 58 रकबा 2.80 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के अशुद्व नाम सुर्फराम पुत्र पोकरराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षक माता सोहनी देवी के स्थान पर शुद्व नाम रामस्वरूप पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी बांसा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान दर्ज करने के आदेश प्रदान फरमावें एवं इस आशय के अंकन का इन्द्राज करने हेतु आदेश की तहरीर भूमिधारी तहसीलदार एवं पटवारी हल्का को जारी की जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 अनुसार आनन्दपुरा का खसरा नम्बर 57 रकबा 4.58 हैक्टर में से 3/916 हिस्सा व खसरा नम्बर 58 रकबा 2.80 हैक्टर में से 1/8 हिस्सा नाबालिंग सुर्फराम पुत्र पोकरराम संरक्षक सरपस्त सोहनीदेवी जाट सा. बांसा तहसील डीडवाना दर्ज है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार इस सीमा तक स्वीकार है कि प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र पोकरराम दर्ज है, शेष पैरा प्रार्थी स्वयं सिद्व करें। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 प्रस्तुत की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मार्क सीट 2011 की छाया प्रति, आधार कार्ड सं. 336153384170 की छाया प्रति, ग्राम पंचायत आनन्दपुरा के पत्रांक 19 दिनॉक 07.08.2020, राशन कार्ड सं. 008380600640 की छाया प्रति, नामान्तरकरण सं. 650 की छाया प्रति प्रस्तुत है।

प्रकरण में प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए शुद्व नाम किये जाने का कथन किया है, अप्रार्थी राज पैरोकार द्वारा प्रकरण में अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन किय गया, नामा. सं. 650 में पोकरराम की मृत्यु पर उत्तराधिकार नामा. दर्ज करते वक्त रामस्वरूप के स्थान पर सुर्फराम गलत दर्ज कर दिया गया, राशन कार्ड संख्या 008380600640 में रामस्वरूप पुत्र दल्लाराम दर्ज है, सरपंच ग्राम पंचायत आनन्दपुरा दिनांक 07.08.2020 अनुसार रामस्वरूप पुत्र पोकरराम है, आधार कार्ड संख्या 336153384170 में रामस्वरूप पुत्र पोकरराम दर्ज है, माध्यमिक शिक्षा बोड, राजस्थान द्वारा जारी परीक्षा 2011 अनुसार रामस्वरूप पुत्र पोकरराम माता सोहनीदेवी दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम उत्तराधिकार नामान्तरकरण दर्ज करते समय अशुद्व प्रविष्टि दर्ज हुई है जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है, अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

एवं प्रार्थी के अशुद्व नाम सुर्फराम के स्थान पर रामस्वरूप शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर 57 रकबा 4.58 हैक्टर बारानी में दर्ज प्रार्थी का नाम सुर्फराम पुत्र पोकरराम के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र पोकरराम तथा खसरा नम्बर 58 रकबा 2.80 हैक्टर में प्रार्थी सुर्फराम पुत्र पोकरराम के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र पोकरराम शुद्व प्रविष्टि राजस्व रेकाड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 28/10/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:56 IST
Reason: SelfAttested